फर्द अहकाम

(आदेश -24 नियम-07)

न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या - 126

नियमित फौजदारी संख्या - 773/26

सरकार बनाम विश्राम

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की पालना का संक्षिप्त नोट
30.6.26	पुलिस थाना प्रतापगढ़ की आ॓र से जरिये अभियोजन अधिकारी, यह परिवाद गैर सायल अभियुक्त विश्राम s/o हीरा निवासी .... द्वारा .... विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 185, 207 मोटर यान अधिनियम में इस्तगासा पेश किया गया। अभियुक्त बर जमानत मय अधिवक्ता .... उपस्थित। इस्तगासा दर्ज रजिस्टर हो। नकल दिला॓इ ग॓इ। बहस प्रसंज्ञान सुनी ग॓इ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 185, 207 मोटर यान अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 185, 207 मोटर यान अधिनियम का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप को स्वीकार किया तथा एक जुर्म स्वीकारोक्ति की दरख्वास्त पेश की। अतः अभियुक्त द्वारा की ग॓इ उक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त आरोपित अपराध में दोषी करार दिया जाता है। सजा के प्रश्न पर सुना गया। यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि संबंधी को॓इ दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है आ॓र न ही ए॓सा को॓इ तथ्य अभियोजन द्वारा पेश किया गया है आ॓र इस संबंध में अभियुक्त ने अपना शपथ पत्र भी पेश किया है। अभियुक्त को अपने किये अपराध पर पछतावा है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित रहेगा। **आदेश** अतः अभियुक्त विश्राम को आरोपीत अपराध अंतर्गत मोटर यान अधिनियम के आरोप में दोषी करार दिया जाकर अभियुक्त को तुरन्त सजा से दंडीत नही किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 03 के तहत् सम्यक प्रताड़ना दी जाकर परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है। साथ ही धारा 05 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत् अभियुक्त विश्राम के विरुद्ध Rs 1000/- /- रूपये अभियोजन व्यय स्वरूप अधिरोपित किये जाते हैं। माफिक आदेश अभियुक्त ने अभियोजन व्यय की राशि Rs 1000/- /- रूपये जरिये रसीद संख्या 145469/08 जमा करा॓इ। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन उसके पंजीकृत वाहन स्वामी को लौटाये जाने के संबंध में संबधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। प्रकरण में अब को॓इ कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)	विश्राम 1234 .... Ashok Ad

Scanned with OKEN Scanner